बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001
(पंजीयन सं. – 633/2003)
Website : basabihar.in, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुशील कुमार
मो.– 9431091417, 7004466338
Email:shushilkumar09@gmail.com

महासचिव,
* खुर्शीद अनवर सिद्दिकी
मो. – 9771048046,
Email:siddiquikhursheed1@gmail.com

उपाध्यक्ष * किशोरी पासवान
* कमलेश सिंह
संयुक्त सचिव * अतुल कुमार वर्मा
* कुमार रविन्द्र
कोषाध्यक्ष * मिथिलेश कुमार साहु
संयुक्त कोषाध्यक्ष * मृणायक दास

पत्रांक 15 दिनांक 21-8-19

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार।

विषय :– **बिहार प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु पदाधिकारियों के प्रखंड/अंचल संबंधी प्रशिक्षण में अपेक्षित सुधार हेतु पत्राचार करने के संबंध में।**

संदर्भ :– **सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापांक सं0–13982, दिनांक 23.10.2018**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि बिहार प्रशासनिक सेवा (56–59वीं बैच) के प्रशिक्षु अधिकारी वर्तमान में विभिन्न जिलों में प्रशिक्षणरत हैं। यह अवलोकित है कि अधिकांश जिलों में प्रखंड/अंचल प्रशिक्षण कार्यक्रम में भिन्नता पाई जा रही है। विभागीय पत्र के अनुसार 31–38वें सप्ताह के दौरा प्रखंड/अंचल में अपर प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल पदाधिकारी/अंचल अधिकारी की व्याख्या प्रत्येक जिलों में अलग–अलग तरीके से की जा रही है। इसमें निम्न व्यवहारिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है :–

1. कई जिलों में बासा के प्रशिक्षु अधिकारियों को बी.डी.ओ./सी.ओ. के पूर्ण प्रभार के साथ वित्तीय शक्तियां भी दी गई है ताकि पहले से कार्यरत बी.डी.ओ./सी.ओ. को प्रखंड डमें ही रखा गया है। इसी तरह कई जिलों में वित्तीय शक्ति को छोड़कर अन्य सभी कार्यों के निष्पादन हेतु अपर प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी बनाया गया है।

2. अधिकांश जिलों में प्रखंड/अंचल में अपर प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करना जैसे शब्दावली का उल्लेख किया गया है जिससे अधिकतम भ्रम उत्पन्न हो रहा है। प्रखंड में कार्यरत प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं किया जा रहा है।

3. बिहार प्रशासनिक सेवा के पुनर्गठन के पूर्व जब बासा के अधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी के रूप में प्रखंड में पदस्थापित होते थे तथा बी.डी.ओ./सी.ओ. के रूप में बासा के ही वरिष्ठ अधिकारी होते थे तब प्रशिक्षुओं को अपर प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी के रूप में प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान था। परन्तु पुनर्गठन के पश्चात बिना स्वतंत्र प्रभार के अपर प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी के रूप में प्रशिक्षण दिया जाना प्रसांगिक प्रतीत नहीं हो रहा है।

अतः अनुरोध है कि संदर्भित ज्ञापांक में तार्किक एवं न्यायोचित सुधार की जाय ताकि प्रखंड स्तर के प्रशिक्षण में उत्पन्न विरोधाभास यथाशीघ्र दूर हो सके तथा बिहार प्रशासनिक सेवा के नवागंतुक प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी के रूप में फील्ड की गहरी समझ तथा आधारभूत संकल्पना विकसित हो सके।

21/8/19	21/08/19
(खुर्शीद अनवर सिदिकी)	(सुशील कुमार)
महासचिव	अध्यक्ष

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष/सचिव, सभी जिला इकाई को सूचनार्थ प्रेषित।

21/8/19

(खुर्शीद अनवर सिदिकी)

महासचिव